अध्याय 12

प्रकीर्ण (Miscelleneous)

धारा 79. वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को सहायता देने को आबद्ध व्यक्ति - (1) हर ऐसा व्यक्ति, जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या जो ऐसे वन से, किसी वन उपज को लेने या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें ढोर चराने के लिये अनुज्ञात है, और हर व्यक्ति जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है, और

ऐसे वन के समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो समुदाय प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिये सरकार से उपलब्धियाँ पाता है, ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किये जाने के आशय की उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना, देने के लिये आबद्ध होगा, और

(क) ऐसे वन में वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी हो बुझाने के लिये,

(ख) ऐसे वन के समीप्य में किसी अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा, ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए,

तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उसे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और

(ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध रोकने, और

(घ) जब कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है तब अपराधी का पता लगाने और उसको गिरफ्तार कराने में उसकी सहायता माँगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिये आबद्ध होते हुए भी बिना किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु (Law full excuse) जिसे साबित करने का भार उसको होगा :

(क) उपधारा, (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, को अनावश्यक विलम्ब के बिना नहीं देगा,

(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि (Forest fire) के बुझाने के लिये उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित कार्यवाही नहीं करता।

(ग) ऐसा वन के सामिप्य में की किसी अग्नि को ऐसा वन में फैलने से नहीं रोकेगा जैसा कि उपधारा (1) से आपेक्षित है, या

(घ) ऐसे वन में किसी अपराध का किया जाना रोकने में, या उस दशा में, जिससे कि यह विश्वास करने का कारण है कि एसे वन में ऐसा अपराध हुआ है, अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता मांगी जाने पर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की मदद नहीं करेगा, वह ऐसी अवधि को कारावास जो [1](छः मास) तक की हो सकेगा और जुर्माने से जो [1](एक हजार रूपये) एक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

टिप्पणी - धारा 79 इस धारा के अधीन वन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को वन अपराध रोकने में सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 37 में है तथा सहायता न देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 187 का अपराध माना गया है।

धारा 80 उन वनों का प्रबन्ध जो सरकार एवं अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति है -

(1) यदि सरकार और कोई व्यक्ति किसी वन या पड़त (Waste) भूमि में, या उसकी पूरी उपज या उसके किसी भाग में संयुक्त हितबद्ध है तो राज्य सरकार या तो :

(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को, उसके हित के लिये लेखा देते हुए, ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी, या

---

1. वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

(ख) इस प्रकार संयुक्तत: हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वह पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध करने के लिये ऐसे विनियम जारी कर सकेगी जैसे वह उसके प्रबन्ध और उसमें के सब पक्षकारों के हितों में आवश्यक समझती है।

(2) जब कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार किसी वन या पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज पर अध्याय 2 या अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध उन पर लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

[1]धारा 80 (अ) अनधिकृत रूप आरक्षित या संरक्षित वन की भूमि पर कब्जा रखने के लिये शास्ति -

(1) ऐसे क्षेत्रों की भूमि जो धारा 20 या 29 के अधीन आरक्षित या संरक्षित वन है के किसी भूखण्ड पर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा करता है या कब्जे में रखता है, जैसा भी हो, इस अधिनियम के अनतर्गत उसके विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वन अधिकारी, जो वन मण्डलाधिकारी के पद से निम्न न हो, के आदेश द्वारा, संक्षिप्त रूप से (Summarily), बेदखल (Ejected) किया जा सकता है और उस पर खड़ी फसल, या भवन, या अन्य जो उस भूमि पर बनाया हो (Constructed), यदि अभियुक्त द्वारा, वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियत अवधि में नहीं हटाई जावे, तो ऐसी स्थिति में वे सभी राजसात् (Forefeiture) योग्य हैं :

परन्तु ऐसे बेदखली आदेश, उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत, जब तक पारित नहीं किये जावेंगे तब तक कि ऐसे प्रस्तावित बेदखली किये जाने वाले व्यक्ति को, समुचित कारण बतलाये जाने का अवसर प्रदान न किया गया है कि उपरोक्त आदेश क्यों न पारित किये जावें ?

(2) ऐसी सम्पत्ति, जो राजसात् की गई हो, का व्ययन (Disposal) वन अधिकारी के आदेशानुसार होगा। किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो भूमि को मूल स्थिति में लाने के लिये हटाये जावेंगे, उसक समस्त व्यय उस व्यक्ति से धारा 82 के अन्तर्गत दिये प्रावधान से वसूली योग्य होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो वन अधिकारी की उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित आदेश से असन्तुष्ट है, व ऐसी रीति या समयावधि में (जो निश्चित की गई हो) राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और उक्त अधिकारी का आदेश, उक्त अपील के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(4) इस धारा के प्रावधान, उन क्षेत्रों तथा उन तिथियों से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य शासन विनिर्दिष्ट करे। अलग-अलग तिथियाँ निर्धारित की जा सकती हैं।

म. प्र. शासन सूचना क्र. 11658/X/65 राज्य शासन धारा 80(अ) की उपधारा (3) के अन्तर्गत 'उपसचिवत मध्य प्रदेश शासन' को अपील अधिकारी नियुक्त करता है।

म. प्र. शासन अधिसूचना क्र. 6342/X/66 दि. 24-6-66 द्वारा शासन बिलासपुर जिले में धारा 80(अ) के प्रावधान लागू होने की तिथि 1 जुलाई, 1966 नियत करता है।

म. प्र. शासन अधिसूचना क्र. 5322/X/67 दि. 14-6-67 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दि. 20-3-67 (असाधारण) पृष्ठ 640 पर प्रकाशित मध्य प्रदेश शासन निम्न जिलों में धारा 80(अ) की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में लाते हुए दिनांक 20-3-1967 से उक्त धारा के प्रावधान लागू करता है।

(राजपत्र दि. 16-6-67 पृष्ठ 1814)

(1) *पूर्वी निमाड़ (2) *सीधी (3) *सरगुजा (4) *सीहोर (5) *रायगढ़ (6) *दुर्ग (7) *बस्तर (8) *सागर (9) *जबलपुर (10) *बालाघाट (11) * दमोह (12) *मण्डला (13) *सिवनी (14) * नरसिंहपुर (15) *रायसेन (16) *छिन्दवाडा (17) *होशंगाबाद (18) *बतूल (19) *शजापुर (20) *राजगढ़ (21) *विदिशा (22) *ग्वालियर (23) *भिण्ड (24) *शिवपुरी (25) *मुरैना (26) *गुना (27) *दतिया (28) *इन्दौर (29) *उज्जैन (30) *देवास (31) *धार (32) *सतना (33) *रतलाम (34) *पश्चिमी निमाड़ (35) *मन्दसौर (36) *रीवा (37) *पन्ना (38) *सतना (39) *शहडोल (40) *छतरपुर (41) *टीकमगढ़ (42) *रायपुर।

---

1. वन विधान क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 17 से धारा 80 अ जोड़ी गई ।

टिप्पणी धारा 80-(A) (1)

(1) धारा 80 (A) के अधीन बेदखली होने वाला क्षेत्र धारा 20 या 29 के अधीन आरक्षित या संरक्षित वन होना चाहिये।

(2) अनाधिकृत कब्जा करना या कब्जा बनाये रखना

(1) अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना - वाक्यांश में व्यक्ति को प्रारम्भ में ही कब्जा विवादित भमि पर करने का कोई अधिकार नहीं होता है वह जबरदस्ती कब्जा करता है, उसके पास कोई परमिट, लायसेन्स, पट्टा या कोई प्राधिकार किसी प्रकार का नहीं होता है और वह उसके बावजूद कब्जा बिना किसी प्राधिकार के कर लेता है ;

(2) अप्राधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखता है या कब्जे में बना रहता है - इस वाक्यांश का अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति का ऐसी भूमि का भले ही प्रारम्भ में कब्जा प्राधिकृत रहा हो लेकिन कानून (IF Act) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर कब्जा रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो वह कानूनी रूप से अधिकार की समाप्ति हो जाना कहा जाता है और विधि के अधीन कब्जे को अधिकार समाप्त होने के बावजूद व्यक्ति विवादित प्रश्नाधीन भूमि पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखता है अर्थात् भूमि पर कब्जे में बना रहता है तो वह धारा 80(1) के अधीन बेदखली के योग्य हो जाता है।

(3) बिल्डिग में फर्नीचर आदि रखा हो या अन्य सामान रखा हो उसे समपहृत नहीं किया जा सकता उसके forfeit करने का अधिकार नहीं है - Marandmal Vs. State of M.P. 1981/MPLJ/Note 55=1981 (II) MPWN 118=1981 RN 349 RN 349 पैरा 3 हाईकोर्ट (म. प्र.)

(4) कब्जा अप्राधिकृत (unauthorised) होना चाहिये - महाराज सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1979 रा. नि. 82, देवीसिंह वि. स्टेट म. प्र. 1979 रा. नि. 355 (पैरा 4)

(5) केन्द्र सरकार के स्वामित्व की भूमि पर जो पब्लिक प्रेमिसेज (Evicition of unathorised occupants Act 1971) एक्ट 1971 में आती है उसकी धारा 5 के अधीन (Estate Officer) सम्पदा अधिकारी ही बेदखली की कार्यवाही कर सकता है। उस एक्ट की धारा 15 में अन्य कोर्ट की अधिकारिता वर्जित है - (प्रभूनाथ वि. बोर्ड रेव्हन्यू - 1980 MPLJ 522 = 1980 JLJ 620 डीबी हाईकोर्ट म. प्र.)

नोटिस शो-काज स्पष्ट होना चाहिए - बाबूलाल वि. स्टेट म. प्र. 1983 RN 27 पैरा 2 रेव्हन्यू बोर्ड म. प्र.

आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमि में लैण्ड रे. को. म. प्र. की धारा 248(1) तथा धारा 1(2) के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल धारा 80(1) (IF Act) के अधीन ही कार्यवाही बदखली की जा सकेगी - भगवान दास वि. स्टेट म. प्र. 1981 रा. नि. 243 (V.P.Sheth M.BR)

आरक्षित वन एवं संरक्षित वन तथा अप्राधिकृत कब्जा साबित करने का प्रभार-राज्य सरकार पर है - अजीजुल्ला खान वि. स्टेट म. प्र. 1980 रा. नि. 308 (308) पैरा 3, 4 अजुद्दी वि. स्टेट म. प्र. 1983 NR 86 रे. वो. सौभाग वि. स्टेट म. प्र. 1979 रा. नि. 428 पैरा 6 (रे. बोर्ड)

धारा 80 (IF Act) - गवर्नमेन्ट और अन्य व्यक्ति की संयुक्त सम्पत्ति में संयुक्त रूप से वन, पड़त भूमि या उपज में हितबद्धता होने पर धारा 80(1) के अधीन गवर्नमेन्ट प्रबन्ध को अपने कब्जे में धारा के प्रावधानों का पालन करते हुए ले सकती है और धारा 80 (2) (IF Act) के अधीन अध्याय II तथा IV के प्रावधान लागू कर सकती हैा अध्याय II तथा IV (IF Act) के लागू कर दिये जाने पर आपत्तिकर्ता कब्जेदार को आपत्ति करने का और अधिकारों के विनिश्चय कराने का मार्ग उनमें बताये प्रावधानों के अधीन खुल जाता है। अध्याय II में आरक्षित वन का सम्बन्ध है तथा अध्याय IV में संरक्षित वन का सम्बन्ध है।

सिविल कोर्ट में हम के आधार पर यह स्थापित करने की प्रार्थना की जा सकती है कि विवादित भूमि वन भूमि या पड़त भूमि नहीं है और वादी का वैधानिक अधिकार है - (नर्बदा प्रसाद वि. म. प्र. राज्य 1990 रा. नि. 388- पैरा 3 हाईकोर्ट म. प्र.)

रेव्हन्यू-पटवारी कागजात में विवादित भूमि "आरक्षित वन" दर्ज है। इस भूमि पर म. प्र. लेण्ड रेव्हेन्यू कोड, 1959 लागू नहीं होगा। ब्रजनंदन सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1983 - रा. नि. 95 पैरा 7 रे. बोर्ड; म. प्र. धारा 80 (अ) के अन्तर्गत अपील

नियम 80 अ के विरुद्ध अपील (नियम)

मध्य प्रदेश शासन अधिसूचना क्र. 7356/X/65 दिनांक 26-6-65 : राज्य शासन धारा 80 (अ) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए निम्न नियम बनाता है :

(1) इस नियम में अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 (वर्ष 1927 के (16) से है।

(2) कोई व्यक्ति, वन अधिकारी द्वारा धारा 80 (अ) की उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित आदेश की सूचना प्राप्त होने पर, 60 दिवस के भीतर अपील कर सकता है।

(3) प्रत्येक अपील निम्न रीति में होनी चाहिये :

(क) वह लिखित में हो।

(ख) उसमें अपीलार्थी का नाम व पता हो।

(ग) यह विशिष्ट विवरण हो कि किस तिथि के आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।

(घ) अपीलार्थी को आदेश की सूचना किस तिथि को प्राप्त हुई।

(ड.) विशिष्ट तथ्यों का विवरण।

(च) अपील करने का कारण व आधार सुसंगत व सिलसिलेवार दर्ज हो।

(छ) किस बात की आज्ञप्ति की मांग की गई का समावेश हो।

(ज) निम्नानुसार अपीलार्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हो :

मैं ..... (अपीलार्थी), एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त अपील ज्ञाप में अंकित और ऊपर जो बातें प्रदर्शित की गई हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सही है।

हस्ताक्षर

(4) अपील का ज्ञापन, जिस आदेश के विरुद्ध किया गया हो, उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न होना चाहिये, बशर्ते अपीलीय अधिकारी को सन्तुष्ट कर दे कि कौन से अच्छे कारणों से उसने अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है और अपीलार्थी को, अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्रति देने हेतु यथा-समय जो शुल्क/अभिलेख/अपील अधिकारी निश्चित करे, प्रस्तुत करना होगा।

(5) अपील का ज्ञापन या तो अपीलार्थी द्वारा या उसके अधिकृत एजेन्ट द्वारा स्वयं अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिये या डाक द्वारा प्रेषित करना चाहिये।

नोट - उपसचिव, म. प्र. शासन, वन विभाग अपील अधिकारी मनोनीत किये गये हैं।

(अधि. क्र. 11685-C-65 दि. 19-11-65 राजपत्र दि. 19-11-65 पृष्ठ 1587 पर प्रकाशित)

धारा 81. ऐसी सेवा करने में असफलता जिसके लिये सरकारी वन की उपज के किसी अंग का उपयोग किया जाता है - यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे वन की उपज को या वन उपज के किसी भाग को, जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या उसकी हकदार है, का अंश इस शर्त पर हकदार है कि ऐसे वन में सम्बन्धित सेवा, सम्यक् रूप से करता रहेगा, तो राज्य सरकार का समाधान कर देने वाले रूप में यह तथ्य प्रमाणित हो जाने की दशा में कि वह अब ऐसी सेवा नहीं कर रहा है, ऐसी अंश अधिहरणीय हो जावेगा :

परन्तु जब राज्य सरकार द्वारा, सम्यक् रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा हकदार व्यक्ति की, और ऐसे साक्ष्य की (यदि कोई हो) जिसे वह सेवा के सम्यक् रूप में किये जाने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करे, सुनवाई न करे, तब तक ऐसे अंश का अधिहरण नहीं होगा।

टिप्पणी-धारा 81

1. इस धारा में वन उपज सरकारी सम्पत्ति या सरकारी हकदारी में कोई भाग/अंश या हिस्सा किसी व्यक्ति को सेवाएँ देने के एवज में (बदले में) (in consideration) में प्रतिफल स्वरूप दिया जाता है और ऐसा व्यक्ति सेवाएँ आगे नहीं देता है तो राज्य सरकार, सेवाएँ न देने पर, उस व्यक्ति के वन उपज में हक के अंश या भाग को अधिहृत (confiscate) कर सकती है।

2. किन्तु ऐसी अधिहरण की कार्यवाही के पूर्व सम्बन्धित हकदार व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस देकर उसे स्पष्टीकरण देने का तथा सेवायें यथावत जारी होने के प्रमाण में साक्ष्य देने का अवसर देकर सुनवाई करना होगी।

3. सहज न्याय का सिद्धान्त है कि जिस कार्यवाही से व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उस कार्यवाही में उसे कारण बताओं नोटिस देकर जवाबदेही का एवं साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर देकर सुनवाई की जाना चाहिये और प्राधिकारी को उसके जवाब एवं साक्ष्य पर विचार करके उपयुक्त न्यायोचित निष्कर्ष निकालना चाहिये। राज्य सरकार या प्राधिकारी को यह समाधान या संतुष्टि कर लेना होगी कि सेवायें अपेक्षितआगे नहीं दी गई हैं। उनका पालन नहीं किया गया है और यह समाधान/संतुष्टि न्यायोचित जांच से ही होगी।

[1]धारा 82. शासन को देय, बकाया राशि की वसूली - अर्थदण्ड (Fines) के अतिरिक्त सभी राशियाँ जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन को देय हों, या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अन्तर्गत या इमारती लकड़ी के या अन्य वनोपज के ठेके के कारण या इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज के सम्बन्ध में किसी संविदा के कारण, जिसमें संविदा भंग के कारण वसूली योग्य रकम शामिल है, या संविदा के रद्द करने के फलस्वरूप, या इमारती लकड़ी के विक्रय सम्बन्धी नोटिस की शर्त केअन्तर्गत, अन्य वनोपज की नीलामी द्वारा या निविदाआमंत्रण जो कि वन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई हो, और समस्त क्षतिपूर्ति (Compensation) जो इस अधिनियम द्वारा राज्य शासन को प्रदान किया जाना हो यदि निश्चित समय में नहीं पटाई जावे तो वह तत्समय प्रभावशील विधान केअन्तर्गत इस प्रकार वसूल किये जा सकेंगे जैसे यह राशि राजस्व की बकाया राशि हो।

टिप्पणी (1) धारा 82 के अधीन यदि कोई ठेकेदार ने वन विभाग से कोई वनोपज का ठेका लिया है तथा बयाने की रकम जमा कराई है, ठेकेदार द्वारा शेष रकम न पटाने के कारण, दोबारा नीलाम में पहिले से कम मूल्य प्राप्त होने पर, ऐसी हानि की राशि बकाया भू-आगम के रूप में वसूल नहीं की जा सकती। ऐसी राशि व्यवहारवाद में वसूल होगी।
(देखें AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 203, 206, 207) जबलपुर लॉ जर्नल 1970 टिप्पणी क्र. 82)

टिप्पणी (2) यदि राज्य शासन के अधिकारी वनोपज की बिक्री करते हैं तो उस मूल्य पर देय विक्रय कर की राशि भूराजस्व के सदृश्य वसूली योग्य है।
(देखें - ओरियन्ट पेपर मि. वि. म. प्र. राज्य, म. प्र. लॉ जर्नल 1971, पृष्ठ 514)

टिप्पणी (3) धारा 82 में मध्य प्रदेश संशोधन (क्र. 9, वर्ष 1965) के अन्तर्गत वनोपज के नीलाम होने पर, शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप, पुन: नीलाम होने पर यदि कम राशि प्राप्त होती है; तो वह धारा 82 के अन्तर्गत वसूली योग्य है। (M.P.L.J. 1980, 465 P.B.)

टिप्पणी (4) उपवन मण्डलाधिकारियों को बकाया राशि की वसूली की शक्ति - अधिसूचना क्र. 7-21 सात-सा. 7-78 दिनांक 19 जुलाई, 1979 - म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के समस्त उपवन मण्डलाधिकारी को वे शक्तियाँ प्रदान करती हैं जो कि उक्त संहिता की धारा 146 तथा 147 द्वारा किसी तहसीलदार को प्रदाय की गई हैं, और यह निर्देश देती है कि वे इस प्रकार प्रदत्त की गई शक्ति अपनी-अपनी अधिकारिता के प्रभार क्षेत्र (Jurisdication) में ऐसे बकाया धन की वसूली हेतु प्रयुक्त होंगी जो कि -

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 82 के अधीन भूराजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य राशि और

(2) राज्य सरकार के वन विभाग के ऐसे कोई अनुदान, अनुबन्ध, पट्टा (Leases) या संविदा के अधीन शोध हो जिसमें यह उपबन्ध हो कि वह (धन) उस रीति से वसूली योग्य है जैसे भू-राजस्व की बकाया के तौर राशि वसूल की जाती है।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणी (5) अभिसंधान किये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली - जब वन विभाग धारा 68 के अन्तर्गत राजीनामा लेता है, तो प्रकरण में आयद की गई रकम, धारा 82 के अनतर्गत भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल की जा सकती है।

धारा 83. ऐसे धन के लिये वन उपज का धारणाधिकार (Lien)

(1) जब किसी वन उपज के सम्बन्ध में या उसके लिये कोई राशि देय है, तब ऐसी उपज पर उसकी वसूली का प्रथम भार है ऐसा समझा जावेगा, और जब तक ऐसी राशि चुका नही जावे, तब तक के लिये, वन अधिकारी ऐसी वन उपज, अपने कब्जे में ले सकेगा।

(2) जब यह राशि शोध्य (Due) होती है, तब चुका नहीं दी जाती है, तो वन अधिकारी द्वारा ऐसी उपज का लोक नीलाम (Public auction) द्वारा विक्रय किया जा सकेगा, और विक्रय के आगमों को प्रथमत: ऐसी बकाया राशि को चुकाने में किया जावेगा।

(3) यदि कोई धन उक्त बकाया राशि, चुकाने पर अतिशेष रहे, उसके लिये यदि हकदार व्यक्ति द्वारा विक्रय की तारीख से दो माह के भीतर, दावा नहीं किया जाता तो वह सरकार को समपहृत (Forfeited) हो जावेंगी।

टिप्पणी (1) - यह धारा वन अधिकारियों को (1) वनोपज की जप्ती (2) तथा उसके विक्रय के अधिकार देती है, ठेकेदार द्वारा किश्त न पटाना वन निविदा की शर्तों का बड़ा उल्लंघन है तथा इस उल्लंघन के लिये कटाई व ढुलाई का कार्य रोका जा सकता है तथा नियम 29 के अन्तर्गत वन संरक्षक द्वारा निविदा समाप्त की जा सकती है तथा ऐसी निविदा की समाप्ति पर ठेका द्रोत्र (Contract area) में अवशेष वनोपज शासन की सम्पत्ति हो जाती है।

(म. प्र. शासन वि. सरदार बूटासिंह राजनान्दगांव, 1972 MPLJ 392, AIR 1972 MP 116)

टिप्पणी (2) - धारा 82 एवं 83 एक दूसरे के पूरक हैं तथा बकाया वसूली हेतु दोनों विधियाँ कार्यान्वित की जा सकती हैं। (AIR 1980 All 100 & 213)

धारा 84. इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित भूमि के लिये यह समझा जावेगा कि उसकी आवश्यकता भू-अर्जन अधिनियम (1994 का 1) के अधीन लोक प्रयोजन के लिये हैं - जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के प्रयोजन में, किसी प्रयोजन के लिये कोई भूमि अपेक्षित है तो ऐसी भमि के बारे में यह समझा जावेगा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा (4) के अर्थ के अन्दर उसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

धारा 85. बन्धपत्र के अधीन शोध्य शस्तियों की वसूली - जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी अनुबन्ध के अनुसार या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुपालन में किसी बन्धपत्र (Bond) या लिखित (Instrument) द्वारा प्रसंविदा (Binds) करता है कि वह उसके सेवक या उसके अभिकर्त्ता किसी कार्य को नहीं करेंगे, तब भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे बन्धपत्र या लिखित में जो राशि उनकी शर्तों के भंग होने की दशा में दी जाने वाली राशि के रूप में वर्णित है, ऐसे भंग होने की दशा में उस समस्त राशि को ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानों वह राशि भू-राजस्व की बकाया है।

धारा 85-क. केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के लिये व्यावृत्ति - इस अधिनियम की कोई बात किसी राज्य सरकार को उस राज्य के बाहर की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश देने या कोई कार्य करने के लिये सम्पृक्त सरकार की सम्मति के बिना केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार के किन्हीं अधिकारों पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये प्राधिकृत नहीं करेगी।

यह धारा राष्ट्रपति के एडोप्टेशन आर्डर, 1950 (Adopation Order, 1950) द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 86. निरसन

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत अनुसूची में बनाये गये विधानों का निरसन बतलाया गया है तथा यह धारा निरसन संशोधन अधिनियम, 1984 (विधान क्र 2, वर्ष 1984) की धारा 2 के अन्तर्गत बनाई गई अनुसूची के साथ निरस्त कर दी गई है।

मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पारितोषित नियम 2004

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना :

(1) ये नियम वन सुरक्षा पारितोषित नियम 2004 कहलावेंगे।

(2) ये पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू होंगे।

[1](3) ये नियम, इनके म.प्र. राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो :

(a) अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (XVI वर्ष है 1927)

(b) 'वन संरक्षक' से तात्पर्य वह अधिकारी फोरेस्ट सरकर का प्रभारी अधिकारी हो या राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य अधिकारी जो उसके समकक्ष घोषित किया गया हो।

(c) वन मण्डलाधिकारी से तात्पर्य वह अधिकारी है जो वनमण्डल के प्रभार में हो।

(d) 'अन्य वस्तु' से तात्पर्य वाहन, औजार, पशु, हथियार, टूल्स आदि है जो वन अपराध कारित करने में उपयोग में लाये गये हो।

इन नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्ति प्रयोग में लाई गई है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया है, उसका वही अर्थ होगा जो उसके लिये अधिनियम में दिया गया हो।

3. पारितोषिक :

(1) वन अपराध में लिप्त अपराधी को, न्यायालय द्वारा दोषिसिद्ध किये जाने पर, या वन अधिकारी द्वारा प्रशमन करने पर, वन मण्डलाधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने वन अपराध का पता लगाने, या अपराधी को पकड़ने या अपराधी को दोषसिद्ध कराने या वन उपज तथा अन्य वस्तु राजसात करने में असामान्य, सहायता की हो तथा राजसात की वस्तु का मूल्य रु. 25000/- के आसपास या अधिक हो, तो वन मण्डलाधिाकरी उसको पारितोषिक दे सकता है। पारितोषिक की राशि प्रकरण में प्राप्त क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं होगी।

(2) पारितोषिक की राशि रु. 10,000/- या अधिक हो तो वन संरक्षक की पूर्व अनुमति ली जावेगी।

(3) पारितोषिक वन विभाग में उपवन मण्डलाधिकारी तथा पुलिस में उपजिला अधीक्षक से उच्च अधिकारी को देय नहीं है।

(4) स्वीकृति अधिकारी : पारितोषिक की राशि वन मण्डलाधिकारी स्वीकृत कर सकते है।

(5) पारितोषिक की राशि की वसूली यदि पुरस्कार देने के पश्चात् अपराधी अपील में दोषमुक्त हो जाता है तो पुरस्कार की राशि की वसूली नहीं होगी। जब तक प्रकरण में कोई धोखाधड़ी न की गई हो।

(6) पारितोषिक गोपनीय होगा तथा वन विभाग की 'गुप्त निधि' से स्वीकृत किया जावेगा। तथा सूचना दाता का नाम गुप्त रखा जावेगा। उसका न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा वन मण्डलाधिकारी कान्टिन्जेट मद से यह राशि भुगतान कर सकते हैं।

(7) इन नियमों के लागू होने पर इससे सम्बन्धित, इस विषय के पूर्व के समस्त नियम समाप्त हो जावेंगे, लेकिन इन समाप्त नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को इन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही माना जावेगा।

अधि. क्र. 25.10.2004-X-3 दिनांक 5 अगस्त 2005

परितोषिक नियम (3) का प्रावधान वन प्राणियों का शिकार या ऐसी वनोपज जिसका मूल्य निर्धारण करना संभव न हो पर लागू नहीं होगा।

---

1. ये नियम म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 30.10.04 के पृष्ठ 998 पर प्रकाशित।